पत्र संख्या–जी0एस0टी0 पंजीयन/2017–18/ 622/171805 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(निरीक्षण–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: नवम्बर, 23 2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01.07.2017 से आरम्भ की गयी जी0एस0टी0 व्यवस्था में नया पंजीकरण प्राप्त करने वाले व्यापारियों को जी0एस0टी0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन आवेदन को अंकित करते समय आवेदक द्वारा सम्बंधित पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय का चयन किया जाता है। कई मामलों में व्यापारियों द्वारा गलत पंजीकृत पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय का चयन कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप पंजीयन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बंधित व्यापारी का विवरण अपने मूल कर निर्धारण कार्यालय के डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं होता है। इस कारण इन व्यापारियों के आवेदन में समस्यायें हो रही हैं।

ऐसे समस्त मामलों में जहां व्यापारियों द्वारा गलत पंजीयन प्राधिकारी का चयन कर लिया गया है उन्हें सही पंजीयन प्राधिकारी कार्यालय में स्थानान्तरित करने हेतु जी0एस0टी0एन0 द्वारा अपडेट ज्यूरीडेक्शन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। अतः ऐसे समस्त मामलों में जहां व्यापारियों को जी0एस0टी0आई0एन0 प्राप्त हो गया है किन्तु यह जी0एस0टी0आई0एन0 उनके सही क्षेत्राधिकार में प्रदर्शित न होकर अन्यत्र प्रदर्शित हो रहा है ,उनके क्षेत्राधिकार परिवर्तन हेतु प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

1. एक सम्भाग के अन्दर एक कर निर्धारण कार्यालय से दूसरे कर निर्धारण कार्यालय में जी0एस0टी0आई0एन0 स्थानान्तरण हेतु पत्रावली पर ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के अनुमोदन के पश्चात व्यापारी को जी0एस0टी0आई0एन0 स्थानान्तरित किया जायेगा।
2. यदि प्रकरण एक से अधिक सम्भागों से सम्बंधित है तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 का अनुमोदन लेते हुए जी0एस0टी0आई0एन0 स्थानान्तरित किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश की प्रतिलिपि सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को सर्वेक्षण तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।
3. यदि जी0एस0टी0आई0एन0 एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरित किया जाना है तो जिस जोन से जी0एस0टी0आई0एन0 का स्थानान्तरण करना है सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर के अनुमोदन के पश्चात जी0एस0टी0आई0एन0 दूसरे सम्बंधित जोन में ट्रांसफर किया जायेगा तथा स्थानान्तरण आदेश की प्रतिलिपि सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर व ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को सर्वेक्षण तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

22/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।